



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2017/आषाढ़ 22, 1939

No. 627]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2017/ASADHA 22, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

सं० 35 /2017-सीमाशुल्क (ए.डी.डी)

सा.का.नि. 879(अ).—जहां कि, "औ-एसिड" (एतस्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है, जोकि सीमाशुल्क टैरिफ, 1975 (1975 का 51) (एतस्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है और चीन गणराज्य (एतस्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित है, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 14/31/2016-डीजीएडी, 23 मई 2017, जिसे दिनांक 23 मई, 2017 को भारत के राजपत्र, आसाधारण के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशित किया गया था, के प्राथमिक निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विषयगत माल का विषय देश से भारत को किया गया निर्यात, निर्यातकर्ता देश के घरेलू बाजार के सामान्य मूल से कम मूल्य पर किया गया है:
- (ii) विषयगत देश से आयात किया गया विषयगत माल की डंपिंग मार्जिन काफी है और न्यूनतम निर्धारित सीमा से अधिक है:
- (iii) घरेलू उद्योग में काफी मंदी आयी है क्योंकि विषयगत देश से विषयगत माल के कारण भरमार हो गई है: और
- (iv) जांच के दौरान घरेलू उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ऐसे आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की जरूरत है।

और घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए उन्होंने "मार्जिन ऑफ डंपिंग" और "मार्जिन ऑफ इंजुरी" में से जो कम हो उसके बराबर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2), सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, विषयगत माल जिनका

विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रवृष्टि में दर्शाए गए उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनिम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रवृष्टि में दिए गए विषयगत देश से निर्यातित हैं, कॉलम (6) में दी गई तत्संबंधी प्रवृष्टि में दर्शाए गए उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रवृष्टि में दर्शाए गए निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रवृष्टि में दर्शायी गई राशि की दर से, कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रवृष्टि में दशाई गई मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रवृष्टि में दर्शाए गए माप की प्रति इकाई में अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाती है।

सारणी

क्रम सं०	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूल रूप से तैयार करने वाला देश	निर्यात करने वाला देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	मापन की ईकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29419030 29152990 29163990 29183090	ओ-एसिड या ओफ्लोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	चियांग चिवांग फार्मासियूटीकल कं० लि०	चियांग चिवांग फार्मासियूटीकल कं० लि०	4.94	किलोग्राम	अमेरिकी डालर
2	29189900 29349900 29411090 29419090 29420090	ओ-एसिड या ओफ्लोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	चियांग चिवांग फार्मासियूटीकल कं० लि०	I. झिजियांग केमिकल्स इमपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०. ii. झिजियांग हेंडियान अपीलोआ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०	7.50	किलोग्राम	अमेरिकी डालर
3		ओ-एसिड या ओफ्लोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स. यानजेंग जिंगएंगझू फार्मासियूटीकल कं० लि०.	i. झिजियांग केमिकल्स इमपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०. ii. झिजियांग हेंडियान अपीलोआ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि० iii. झिजियांग यूईजी बिजनेस सर्विस कं० लि० iv. झिजियांग जिंयांग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०.	5.04	किलोग्राम	अमेरिकी डालर
4		ओ-एसिड या ओफ्लोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स इनर्स मंगोलिया यूआंगहांग फाइन केमिकल कंपनी लि०	i. ड्रीमलेंड क्रेसन आईएनसी ii. झिजियांग यूईजी बिजनेस सर्विस कं० लि० iii. झिजियांग झेजियांग योंहोंग मेडिकल एंड केमिकल टेक्नोलाजी कं० एंड लि०	8.55	किलोग्राम	अमेरिकी डालर

						झिजियांग झेजियांग मेडिकल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी कं० एंड लि० iv. चीन सीनोफार्म इंटरनेशनल कार्पोरेशन चीन सीनोफार्म इंटरनेशनल कार्पोरेशन			
5		ओ-एसिड या ओफ्लोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स जेंगजिंग डेडी फार्मासिक्यूटिकल लि० लाइब्रिटी कं०	झिजियांग हेंडियान अपीलोआ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०.	0.03	किलोग्राम	अमेरिकी डालर
6		ओ-एसिड या ओफ्लोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स. झिजियांग योंगहोंग मेडिकल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी कं० लि०	i. झिजियांग मेडिसिन्स एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स कं० लि० ii. चीन सीनोफार्म इंटरनेशनल कार्पोरेशन iii. झिजियांग केमिकल्स इमपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०. iv. झिजियांग हेंडियान अपीलोआ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०. v. ड्रीमलेंड क्रेसन आईएनसी . vi. संघाई चेंग्यू केमिकल टेक्नोलॉजी कं० लि०	3.57	किलोग्राम	अमेरिकी डालर
7	29419030 29152990 29163990	ओ-एसिड या ओफ्लोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 6 में उल्लेखित कोई भी संयोजन		8.79	किलोग्राम	अमेरिकी डालर
8	29183090 29189900 29349900	ओ-एसिड या ओफ्लोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश		कोई भी	8.79	किलोग्राम	अमेरिकी डालर
9	29411090 29419090 29420090	ओ-एसिड या ओफ्लोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	8.79	किलोग्राम	अमेरिकी डालर

2. यह अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क जोकि इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया है, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 महीने की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, संशोधित नहीं किया जाता है या इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना में लागू विनिमय दर वह दर होगी जोकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना जोकि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में दी गई शक्तियों

का प्रयोग करते हुए जारी की गई है और समय पर संशोधित की गई है, में विनिर्दिष्ट होगी और विनिमय दर के निर्धारण की तारीख वही तारीख होगी जोकि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत किए जाने की होगी।

[फा.सं. 354/111/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2017

No. 35/2017-Customs (ADD)

G.S.R. 879(E).—Whereas, in the matter of import of ‘O-Acid’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority *vide* its preliminary findings No. 14/31/2016-DGAD, dated the 23rd May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd May, 2017, has come to the conclusion that-

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject country at price less their normal values in the domestic market of the exporting country;
- (ii) the dumping margin of the subject goods imported from the subject country are substantial and above de-minimis;
- (iii) the domestic industry has been materially retarded due to the dumped imports of subject goods from subject country; and
- (iv) provisional anti-dumping duties are required to be imposed in order to address injury being suffered by the domestic industry during investigation,

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff items of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, a provisional anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table:-

TABLE

S. No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit of measure	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29419030 29152990 29163990 29183090	O-acid or Ofloxacin Acid	China PR	China PR	Jiangxi Chibang Pharmaceutical Co., Ltd	Jiangxi Chibang Pharmaceutical Co., Ltd	4.94	Kg	US Dollar
2	29189900 29349900 29411090 29419090 29420090	O-acid or Ofloxacin Acid	China PR	China PR	Jiangxi Chibang Pharmaceutical Co., Ltd	I. Zhejiang Chemicals Import & Export Co., Ltd. ii. Zhejiang Hengdian Apelo Imp.& Exp. Co. Ltd	7.50	Kg	US Dollar

3	O-acid or Ofloxacin Acid	China PR	China PR	M/s. Yancheng XinAnzhou Pharmaceutical Co., Ltd.	<p>i. Zhejiang Chemicals Import & Export Co., Ltd.</p> <p>ii. Zhejiang Hengdian Apelo Imp.& Exp. Co., Ltd.</p> <p>iii. Zhejiang Ueasly Business Service Co., Ltd.</p> <p>iv. Zhejiang Xingyang Import & Export Co., Ltd.</p>	5.04	Kg	US Dollar
4	O-acid or Ofloxacin Acid	China PR	China PR	M/s. Inner Mongolia Yuanhong Fine Chemical Co., Ltd.	<p>i. Dreamland Creation Inc.</p> <p>ii. Zhejiang Ueasly Business Service Co., Ltd.</p> <p>iii. Zhejiang Yuanhong Medical & Chemical Technology Co., Ltd.</p> <p>iv. China Sinopharm International Corporation</p>	8.55	Kg	US Dollar
5	O-acid or Ofloxacin Acid	China PR	China PR	M/s. Jiangxi Dadi Pharmaceutical Limited Liability Company	Zhejiang Hengdian Apelo Imp. & Exp. Co., Ltd.	0.03	Kg	US Dollar
6	O-acid or Ofloxacin Acid	China PR	China PR	M/s. Zhejiang Yuanhong Medical and Chemical Technology Co., Ltd.	<p>i. Zhejiang Medicines & Health Products Co., Ltd.</p> <p>ii. China Sinopharm International Corporation</p> <p>iii. Zhejiang Chemicals Import & Export Co., Ltd.</p> <p>iv. Zhejiang Xingyang Import & Export Co., Ltd.</p> <p>v. Dreamland Creation Inc.</p> <p>vi. Shanghai Changyu Chemical Technology Co., Ltd.</p>	3.57	Kg	US Dollar

7	29419030 29152990 29163990	O-acid or Ofloxacin Acid	China PR	China PR	Any combination other than mentioned in SI No-1 to 6 above		8.79	Kg	US Dollar
8	29183090 29189900 29349900 29411090	O-acid or Ofloxacin Acid	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	8.79	Kg	US Dollar
9	29419090 29420090	O-acid or Ofloxacin Acid	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	8.79	Kg	US Dollar

2. The provisional anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of six months (unless revoked, amended or superseded earlier) from the date of publication of this notification in the official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No.354/111/2017 –TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.